

लेखे एक दृष्टि में 2022—2023



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्यप्रदेश सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2022—2023

मध्यप्रदेश सरकार

आमुख

यह हमारे वार्षिक प्रकाशन "लेखे एक दृष्टि में" का पच्चीसवाँ अंक है।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की आवश्यकतानुसार नियंत्रक महालेखापरीक्षक के निर्देशन के अधीन राज्य शासन के वार्षिक लेखे राज्य के विधानमंडल में रखे जाने के लिए तैयार कर जांच किए जाते हैं। वार्षिक लेखाओं में (अ) वित्त लेखे एवं (ब) विनियोग लेखे समाहित होते हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत लेखे के संक्षिप्त विवरण होते हैं। विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरुद्ध मांगवार व्यय तथा प्रदत्त निधि एवं वास्तविक व्यय के मध्य अंतरों के लिए स्पष्टीकरणों को इंगित करता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है।

"लेखे एक दृष्टि में" वित्त एवं विनियोग लेखे में प्रतिबिम्बित शासकीय क्रियाकलापों का एक विस्तृत विहंगावलोकन है। इसमें सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों तथा ग्राफ्स के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह आंकड़े मध्यप्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखे से लिए गए हैं। अंतर की स्थिति में वित्त एवं विनियोग लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों को सही समझा जावे।

इस प्रकाशन को अधिक उपयोगी बनाने के लिये सुझाव आमंत्रित है।

स्थान : ग्वालियर

दिनांक : 03.01.2024

गीताली तारे

(गीताली तारे)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
मध्यप्रदेश

हमारी दृष्टि, लक्ष्य एवं आन्तरिक मूल्य

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संस्था का दृष्टिकोण हमारी भावी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

हम वैश्विक नेतृत्व के लिये प्रयासरत हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के लेखांकन एवं लेखापरीक्षा की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम कार्यपद्धति के पहलकारों में रहे हैं और शासन तथा सार्वजनिक वित्त की स्वतंत्र, विश्वसनीय, सन्तुलित एवं सामयिक सूचना देने के लिये पहचाने जाते हैं।

हमारा **लक्ष्य** हमारी वर्तमान भूमिका को प्रतिपादित एवं हम आज जो कर रहे हैं, उसे उल्लिखित करता है।

भारत के संविधान से अधिदिष्ट, हम उच्च गुणवत्तापूर्ण लेखांकन एवं लेखापरीक्षा के द्वारा उत्तरदायी, पारदर्शी एवं सुशासन को प्रोत्साहित करते हैं एवं अपने हितधारकों-विधायिका, कार्यपालिका एवं आमजन को स्वतंत्रतापूर्वक आश्वासन देते हैं कि, लोक निधियों का पूर्ण दक्षता एवं इच्छित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है।

हम जो भी करते हैं, उसके लिये हमारे बुनियादी **मूल्य** मार्गदर्शक दीपस्तम्भ की तरह हैं जो हमारे कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिये मानक तय करते हैं :-

- स्वतंत्रता
- उद्देश्यपरकता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक पहल

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1	विहंगावलोकन	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	लेखे का स्वरूप	1
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	2
1.4	निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	7
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005	10
अध्याय 2	प्राप्तियां	
2.1	प्रस्तावना	12
2.2	राजस्व प्राप्तियां	12
2.3	कर राजस्व	14
2.4	कर संग्रहण की दक्षता	16
2.5	विगत पांच वर्षों में संघीय करों में राज्यांश की प्रवृत्ति	17
2.6	सहायता अनुदान	17
2.7	लोक ऋण	18
अध्याय 3	व्यय	
3.1	प्रस्तावना	21
3.2	राजस्व व्यय	21
3.3	पूंजीगत व्यय	23
3.4	प्रतिबद्ध व्यय	24

अध्याय 4	विनियोग लेखे	
4.1	विनियोग लेखे का सार	26
4.2	विगत पांच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	26
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	27
अध्याय 5	परिसम्पत्तियां एवं दायित्व	
5.1	परिसम्पत्तियां	29
5.2	ऋण तथा दायित्व	29
5.3	प्रत्याभूतियां	31
अध्याय 6	अन्य मदें	
6.1	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम	32
6.2	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	32
6.3	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश	33
6.4	लेखों का पुनर्मिलान	33
6.5	राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	33
6.6	उचंत शेषों का संचय	34

अध्याय — 1

विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना


मध्यप्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के लेखाओं के संकलन का कार्य प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्यप्रदेश द्वारा किया जाता है। यह संकलन जिला कोषालयों एवं लोक निर्माण संभागों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित होता है। ऐसे संकलन के पश्चात प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, प्रतिवर्ष वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है, जिन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा—II) मध्यप्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा एवं भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रमाणीकरण के पश्चात राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2 लेखे का स्वरूप

1.2.1 शासकीय लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं :

भाग 1 समेकित निधि	राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं, ऋण एवं अग्रिम, लोक ऋण की प्राप्तियां एवं व्यय और अन्तर्राज्यीय परिशोधन, आकस्मिकता निधि को विनियोग
भाग 2 आकस्मिकता निधि	बजट में उपबन्धित न किये गये अनवेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु। इस निधि से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति बाद में समेकित निधि से की जाती है।
भाग 3 लोक लेखा	अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंक अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे – अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा, अग्रिम, आरक्षित निधियाँ, प्रेषण एवं उचंत शीर्ष शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहती है।

1.2.2 लेखों का संकलन



1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के साथ ही राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लोक ऋण के लेखाओं एवं लोक लेखे में दर्ज शेषों के लेखाओं का चित्रण करते हैं। वित्त लेखाओं को अधिक विस्तृत एवं सूचनात्मक बनाने की दृष्टि से वर्ष 2009-10 से इन्हें दो खण्डों में जारी किया जा रहा है। खण्ड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रमाण-पत्र सहित समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों के संक्षिप्त विवरण पत्रक एवं लेखांकन नीतियों के महत्वपूर्ण सार, लेखाओं की गुणवत्ता एवं अन्य मदें को समाविष्ट करते हुए 'वित्त लेखों पर टिप्पणियां', समाहित हैं। खण्ड-II में विस्तृत विवरण (भाग-I) एवं परिशिष्ट (भाग-II) शामिल हैं।

मध्यप्रदेश सरकार के वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे में दर्शाये प्राप्तियां एवं संवितरण निम्नानुसार हैं :-

(₹ करोड़ में)


प्राप्तियां कुल : (2,46,693)	राजस्व कुल : (2,03,986)	कर राजस्व	1,47,153
		(क) स्वयं का कर राजस्व	72,610
		(ख) करों की शुद्ध आय का हिस्सा	74,543
		करेतर राजस्व	19,878
		सहायता अनुदान	36,955
	पूंजीगत कुल : (42,707)	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	1,458
		उधार और अन्य दायित्व ¹	41,202
अन्य प्राप्तियां ²		47	
संवितरण कुल : (2,46,693)	राजस्व	1,99,895	
	पूंजीगत	44,438	
	ऋण तथा अग्रिम	2,360	
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	—	
	आकस्मिकता निधि को अंतरण	—	

¹ उधार और अन्य दायित्व: लोक ऋण की निवल राशि (प्राप्तियां-संवितरण) (₹ 36,861 करोड़) + आकस्मिकता निधि की निवल राशि (₹ (-) 19 करोड़) + लोक लेखे की निवल राशि (प्राप्तियां-संवितरण) (₹ 508 करोड़) + रोकड़ शेष का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष की निवल राशि (₹ 3,852 करोड़)

² सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी संस्थाओं/बैंकों द्वारा अंशपूंजी में निवेश की वापसी से संबंधित पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 47 करोड़) तथा अन्तर्राज्यीय परिशोधन (निरंक करोड़) सम्मिलित हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्ति एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)



* उधार एवं अन्य देनदारियां : शुद्ध (प्राप्ति-संवितरण) लोक ऋण + शुद्ध आकस्मिक निधि + शुद्ध (प्राप्ति-संवितरण) लोक लेखे + शुद्ध प्रारम्भिक एवं अंतिम नगद शेष।

संघ सरकार, राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/अशासकीय संगठनों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सीधे प्रचुर निधियां स्थानान्तरित करती हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार ने सीधे ₹ 16,249 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3,430 करोड़) विमुक्त किये हैं। चूंकि ये निधियां राज्य के बजट के माध्यम से नहीं दी गई हैं अतः ये राज्य सरकार के लेखाओं में प्रतिबिम्बित नहीं होती। ये स्थानांतरण वित्त लेखे के खण्ड-II के परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित हो रही हैं।

निम्न तालिका वर्ष 2022-23 के लिए पुनरीक्षित अनुमान के साथ-साथ वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदर्शित करती है :-

(₹ करोड़ में)

मदें	पुनरीक्षित अनुमान 2022-23	वास्तविक राशि	पुनरीक्षित अनुमान से वास्तविक राशि की प्रतिशतता	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से वास्तविक राशि की प्रतिशतता ³
1. कर राजस्व	1,52,680 ⁴	1,47,153 ⁴	96	11
2. करेतर राजस्व	13,799	19,878	144	2
3. सहायता अनुदान तथा अंशदान	37,488	36,955	99	3
4. राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	2,03,967	2,03,986	100	15
5. ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	41	1,458	3556	--
6. अन्य प्राप्तियां ⁵	--	47	--	--
7. उधार तथा अन्य दायित्व ⁶	49,172	41,202	84	3
8. पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	49,213	42,707	87	3
9. कुल प्राप्तियां (4+8)	2,53,180	2,46,693	97	19
10. राजस्व व्यय	2,02,468	1,99,895	99	15
11. ब्याज भुगतान पर व्यय (मद क्र.10 के अन्तर्गत)	20,636	19,453	94	1
12. पूंजीगत व्यय	45,468	44,438	98	3
13. संवितरित ऋण तथा अग्रिम	3,411	2,360	69	--
14. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	--	--	--	--
15. आकस्मिकता निधि को अंतरण	--	--	--	--
16. कुल व्यय (10+12+13+14+15)	2,51,347	2,46,693	98	19
17. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (4-10)	1,499	4,091	273	--
18. राजकोषीय घाटा (4+5+6-10-12-13-14)	(-) 47,339	(-) 41,202	87	(-) 3

³ योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग म.प्र.शासन द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद राशि ₹ 13,22,821 करोड़ ली गई है।

⁴ संघ करों का अंश ₹ 74,543 करोड़ पुनरीक्षित अनुमान एवं ₹ 74,543 वास्तविक राशि सम्मिलित है।

⁵ पृष्ठ क्रमांक 3 पर पाद टिप्पणी 2 देखें।

⁶ पृष्ठ क्रमांक 3 पर पाद टिप्पणी 1 देखें।

1.3.2 घाटा और आधिक्य क्या संकेत करते हैं ?

घाटा	राजस्व और व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। घाटे का प्रकार, घाटा कैसे वित्त व्यवस्थित किया जाता है और निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय व्यवस्था में दूरदर्शिता के मुख्य सूचक हैं।
राजस्व घाटा/आधिक्य	राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। राजस्व व्यय शासन की विद्यमान स्थापना के संधारण के लिए अपेक्षित हैं तथा आदर्श रूप से पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों से पूरा होना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/आधिक्य	कुल प्राप्तियों (उधारों को पृथक कर) तथा कुल व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। अतः यह अंतर दर्शाता है कि उधारों द्वारा किस सीमा तक व्यय को वित्त व्यवस्थित किया गया है। आदर्श रूप से उधारों को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

1.3.3 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे वित्त लेखे के पूरक हैं। वे राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित "दत्तमत" और संचित निधि पर "प्रभारित" राशियों के विरुद्ध राज्य सरकार के व्यय को प्रदर्शित करते हैं। 2 प्रभारित विनियोग एवं 57 दत्तमत अनुदान हैं। 57 दत्तमत अनुदानों में से 51 अनुदानों में प्रभारित व्यय के लिए बजट प्रावधान है।

विनियोग अधिनियम 2022-23 में ₹ 3,21,658 करोड़ के सकल व्यय एवं ₹ 7,407 करोड़ व्यय में कमी (वसूलियां) का प्रावधान प्रदान किया था। इसके विरुद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 2,71,114 करोड़ एवं व्यय में कमी (वसूलियां) ₹ 2,415 करोड़ रही, परिणामतः ₹ 50,544 करोड़ (15.71 प्रतिशत) की बचत एवं ₹ 4,992 करोड़ (67.40 प्रतिशत) 'व्यय में कमी' का अधिक प्राक्कलन रहा।

वर्ष 2022-23 में ₹ 5,418 करोड़ लोक लेखे के अंतर्गत व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों में अंतरित किए गए, जो निर्दिष्ट प्रशासकों द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए संधारित किए जाते हैं। सामान्यतः वित्तीय वर्ष के अंत में व्यक्तिगत जमा खातों के अन्तर्गत अव्ययित रही राशि शासन को वापिस स्थानान्तरित की जानी होती है। हालांकि, इस प्रकार के स्थानान्तरणों का विस्तृत विवरण, यदि कोई हो एवं व्यक्तिगत जमा खातों में लंबित शेष केवल कोषालयों में उपलब्ध है, क्योंकि वे इस प्रकार के अभिलेख संधारित करने हेतु जिम्मेदार हैं।

1.4 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान कर उसकी तरलता बनाये रखने में समर्थ बनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किये गये करार के अनुसार न्यूनतम रोकड़ शेष राशि (₹ 1.96 करोड़) में कमी होने पर अधिविकर्षण की सुविधा दी जाती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्षण सुविधाओं का सहारा नहीं लिया गया।

1.4.2 निधियों के प्रवाह का विवरण

राज्य के पास ₹ 4,091 करोड़ का राजस्व घाटा एवं ₹ 41,202 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)⁷ का क्रमशः 0.31 प्रतिशत एवं 3.11 प्रतिशत रहा। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 16.70 प्रतिशत रहा। यह घाटा लोक ऋण (₹ 36,861 करोड़) एवं लोक लेखे (₹ 508 करोड़) से पूरा किया गया। रोकड़ शेष में ₹ 3,852 करोड़ की कमी हुई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,03,986 करोड़) का लगभग 52 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय जैसे मजदूरी सहित वेतन (₹ 46,799 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 19,453 करोड़), पेंशन (₹ 19,691 करोड़) एवं राज सहायता (₹ 19,289 करोड़) पर व्यय किया गया।

⁷ जहाँ अन्यथा दर्शाया गया है, के सिवाय, इस प्रकाशन में उपयोग में लाये गये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंक म.प्र. शासन के योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आर्थिक सर्वेक्षण से लिये गये हैं।

निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)


स्रोत	विवरण	राशि
	01 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक नगद शेष	(-) 1,118
	राजस्व प्राप्तियां	2,03,986
	पूंजीगत प्राप्तियां	47
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	1,458
	लोक ऋण	58,867
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां तथा अन्य	4,057
	आरक्षित एवं निक्षेप निधि	5,030
	जमा प्राप्ति	51,597
	चुकता सिविल अग्रिम	--
	उचन्त लेखा	5,44,210
	प्रेषण	20,288
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	(-) 01
	योग	8,88,421

अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,99,895
	पूंजीगत व्यय	44,438
	संवितरित ऋण	2,360
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	22,006
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां तथा अन्य	5,348
	आरक्षित एवं निक्षेप निधि	2,395
	जमा व्यय	49,068
	दिए गए सिविल अग्रिम	--
	उचन्त लेखा	5,48,470
	प्रेषण	19,393
	31 मार्च 2023 को अंतिम नगद शेष	(-) 4,970
	आकस्मिकता निधि से व्यय जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं हुई	19
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	(-) 01
	योग	8,88,421

1.4.3 रुपया कहां से आया

(₹ करोड़ में)

वास्तविक प्राप्तियां




टीप : शून्य मान वर्ष के दौरान नगण्य 'अन्य प्राप्तियों' को दर्शाता है।

1.4.4 रुपया कहां गया

(₹ करोड़ में)

वास्तविक व्यय



1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत अपेक्षित है कि, राज्य सरकार, वार्षिक बजट पेश करते समय तीन विवरणों में प्रकटीकरण करे अर्थात् (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण तथा (ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण। बजट वर्ष 2022-23 में उक्त विवरणों को बनाते समय राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकटनों को बनाया गया है।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 15 जनवरी 2016, 23 मार्च 2017 एवं 30 मार्च 2017 में, राज्य सरकार द्वारा म.प्र.रा.उ.ब.प्र. अधिनियम, 2005, में संशोधन किया गया। अधिनियम में दिये गए लक्ष्य एवं वर्ष 2022-23 में निष्पादन जैसा कि लेखों में प्रदर्शित है, नीचे दर्शाया गया है :-

म.प्र.रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियम के अनुरूप राजकोषीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां


क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां (2022-23)
राजस्व आधिक्य/घाटा	राजस्व आधिक्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद जी.एस.डी.पी. के 0.32 प्रतिशत से अधिक नहीं।	लेखाओं के अनुसार राजस्व आधिक्य ₹ 4,091 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*) का 0.31 प्रतिशत है।
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के 4.56 प्रतिशत से अधिक नहीं	लेखाओं के अनुसार राजकोषीय घाटा ₹ 41,202 करोड़ है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.11 प्रतिशत है।
बकाया ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के 30.18 प्रतिशत से अधिक नहीं	वर्ष 2022-23 में ₹ 3,52,399 करोड़ बकाया ऋण था जो जी.एस.डी.पी. का 26.64 प्रतिशत है।

टीप :- इस ऋण में राशि ₹ 11,553 करोड़ शामिल नहीं है, जो व्यय विभाग, भारत सरकार के निर्णय अनुसार वित्त आयोग द्वारा नियत जी.एस.टी. मुआवजे (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,542 करोड़ एवं वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,011 करोड़) के केन्द्र सरकार द्वारा पारित, बदले बैंक टू बैंक ऋण के रूप में किसी भी मापदंड से राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

(*) स्रोत-योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र.शासन के अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 13,22,821 करोड़ लिया गया है।


1.5.1 राजस्व आधिक्य/घाटा की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



1.5.2 राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



अध्याय – 2

प्राप्तियां


2.1 प्रस्तावना

शासन की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियां ₹ 2,46,693 करोड़ थीं।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

कर राजस्व	राज्य द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित एवं संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अधीन राज्य के संघीय करों का अंश समाविष्ट होते हैं।
करेतर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ इत्यादि सम्मिलित होते हैं।
सहायता अनुदान	मुख्य रूप से, संघ सरकार से राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता का रूप है। संघ सरकार की मध्यस्थता द्वारा विदेशी सरकारों से प्राप्त 'बाह्य अनुदान सहायता' तथा 'सहायता, सामग्री तथा उपकरण सम्मिलित' है। इसी प्रकार राज्य शासन, संस्थाओं जैसे :- पंचायती राज संस्थाएं, स्वशासी निकाय आदि को भी सहायता अनुदान देता है।

राजस्व प्राप्तियां



राजस्व प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक राशि
क. कर राजस्व	1,47,153
वस्तु एवं सेवा कर	44,461
आय और व्यय पर कर	49,734
पूंजीगत लेन-देनों तथा संपत्ति पर कर	10,611
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	42,347
ख. करेतर राजस्व	19,878
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	4,729
सामान्य सेवाएं	781
सामाजिक सेवाएं	2,249
आर्थिक सेवाएं	12,119
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	36,955
योग – राजस्व प्राप्तियां	2,03,986

प्राप्तियों का रुझान


(₹ करोड़ में)

	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
कर राजस्व	1,08,369 (13)	1,05,341 (12)	1,01,373 (11)	1,35,779 (12)	1,47,153 (11)
करेतर राजस्व	11,899 (1)	10,350 (1)	9,902 (1)	15,305 (1)	19,878 (1)
सहायता अनुदान	28,625 (4)	31,952 (3)	35,102 (4)	34,792 (3)	36,955 (3)
कुल राजस्व प्राप्तियां	1,48,893 (18)	1,47,643 (16)	1,46,377 (16)	1,85,876 (16)	2,03,986 (15)
जी.एस.डी.पी.	8,09,327	9,06,672	9,17,555	11,69,004	13,22,821

नोट :- कोष्ठक में दिये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान कर राजस्व तथा करेतर राजस्व में प्रत्येक में क्रमशः 8 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

जी.एस.डी.पी. के अनुपात में राजस्व प्राप्तियों के अधीन घटक




2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वस्तु एवं सेवा कर	33,828	34,499	31,204	41,484	44,461
आय और व्यय पर कर	35,137	30,423	28,987	41,468	49,734
संपत्ति तथा पूंजिगत संव्यवहारों पर कर	6,371	6,851	8,059	9,648	10,611
सेवाओं और वस्तुओं पर कर	33,033	33,568	33,123	42,779	42,347
कुल कर राजस्व	1,08,369	1,05,341	1,01,373	1,35,779	1,47,153

जी.एस.डी.पी. के अनुपात में मुख्य करों का रुझान



(*) मुख्य रूप से राज्य को केन्द्रांश की निवल प्राप्ति

राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघ करों में राज्य का अंश	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	
			राशि	जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत
2018-19	1,08,369	57,487	50,882	6
2019-20	1,05,341	49,517	55,824	6
2020-21	1,01,373	46,914	54,459	6
2021-22	1,35,779	69,542	66,237	6
2022-23	1,47,153	74,543	72,610	5

2.4 कर संग्रहण की दक्षता

क. संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व संग्रहण	6,371	6,851	8,059	9,648	10,611
संग्रहण पर व्यय	885	1,073	3,215	1,585	2,103
कर संग्रहण की लागत (प्रतिशत में)	14	16	40	16	20

ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व संग्रहण	33,033	33,568	33,123	42,779	42,347
संग्रहण पर व्यय	2,616	2,129	3,681	2,077	1,588
कर संग्रहण की लागत (प्रतिशत में)	8	6	11	5	4

कर राजस्व का मुख्य अंश वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर से आता है। कर संग्रहण में दक्षता मध्यम है, हालांकि संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर संग्रहण दक्षता कमजोर है एवं इसमें सुधार की आवश्यकता है।

2.5 विगत पांच वर्षों में संघ करों में राज्यांश की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	14,188	14,052	13,947	19,855	21,064
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	1,132	--	--	--	--
निगम कर	19,990	16,884	14,155	20,563	24,990
आय पर निगम कर से भिन्न कर	14,722	13,229	14,512	20,589	24,399
आय तथा व्यय पर अन्य कर	104	--	--	--	--
धन कर	7	1	--	4	--
सीमा शुल्क	4,075	3,139	2,495	4,950	2,930
संघ उत्पाद शुल्क	2,708	2,182	1,577	2,647	920
सेवा कर	531	--	203	863	117
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	30	31	25	71	123
संघ करों में राज्य का अंश	57,487	49,518	46,914	69,542	74,543
कुल कर राजस्व	1,08,369	1,05,341	1,01,373	1,35,779	1,47,153
कुल कर राजस्व में संघ करों का प्रतिशत	53	47	46	51	51


2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती है तथा इसमें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य निधि व्यय हेतु अनुदान एवं नीति आयोग द्वारा अनुमोदित केन्द्र सहायता सहित केन्द्र प्रायोजित योजनाएं/केन्द्रीय योजनाएं से संबंधित अनुदान शामिल है।

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्राप्तियों में सहायता अनुदान के अंतर्गत राशि नीचे दर्शाये अनुसार ₹ 36,955 करोड़ थी :-

(₹ करोड़ में)

सहायता अनुदान



संघ अंश के पुनरीक्षित अनुमान ₹ 37,488 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार को वास्तविक रूप से ₹ 36,955 करोड़ (पुनरीक्षित अनुमान का 99 प्रतिशत) सहायता अनुदान प्राप्त हुआ।

2.7 लोक ऋण


विगत पांच वर्षों में लोक ऋण का रुझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आंतरिक ऋण	16,326	19,783	42,926	20,294	28,414
केन्द्रीय ऋण	2,648	3,647	9,487	10,829	8,447
कुल लोक ऋण	18,974	23,430	52,413	31,123	36,861


टीप :- निवल आंकड़े = प्राप्तियां - संवितरण।

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण का रुझान



वर्ष 2022-23, में 7.38 प्रतिशत से 7.88 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर कुल ₹ 39,158 करोड़ के चौदह बाजार ऋण लिये गये जो वर्ष 2025-26 से 2047-48 के मध्य सममूल्य पर मोचनीय है।

2.7.1 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधियों का अनुपात



यह वांछनीय है कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उधार निधियों का पूर्णतः उपयोग किया जावे तथा मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किया जावे। राज्य सरकार के चालू वर्ष में उधार के रूप में प्राप्त राशि (₹ 58,867 करोड़) का 75 प्रतिशत पूंजीगत व्यय (₹ 44,438 करोड़) पर खर्च किया है।

अध्याय — 3

व्यय

3.1 प्रस्तावना

व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया गया है। संगठन को चलाने के लिये प्रतिदिन होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये राजस्व व्यय का उपयोग होता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी संपत्ति के निर्माण या ऐसी संपत्ति की उपयोगिता को बढ़ाने में या स्थायी दायित्वों को कम करने में होता है।

सामान्य सेवाएं	इसमें न्याय प्रशासन, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि शामिल हैं।
सामाजिक सेवाएं	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण इत्यादि शामिल है।
आर्थिक सेवाएं	इसमें कृषि, ग्राम विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल हैं।

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2022-23 का राजस्व व्यय ₹ 1,99,895 करोड़ था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान से ₹ 2,573 करोड़ से कम था। राज्य में ₹ 4,091 करोड़ का राजस्व आधिक्य है।

विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत पुनरीक्षित अनुमान के विरुद्ध व्यय को नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पुनरीक्षित अनुमान	1,51,022	1,51,259	1,58,545	1,77,398	2,02,468
वास्तविक	1,42,149	1,50,444	1,64,733	1,81,061	1,99,895
अंतर	8,873	815	(-) 6,188	(-) 3,663	2,573
पुनरीक्षित अनुमान से अंतर का प्रतिशत	6	1	(-) 4	(-) 2	1

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय पुनरीक्षित अनुमान से 1 प्रतिशत कम है।

3.2.1 राजस्व व्यय का प्रक्षेत्रवार विवरण


(₹ करोड़ में)

संघटक	राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
क. राजकोषीय सेवाएं	3,694	2
(i) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	2,103	1
(ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	1,589	1
(iii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	2	—
ख. राज्य के अंग	2,001	1
ग. ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन	19,453	9
घ. प्रशासनिक सेवाएं	9,915	5
ङ. पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	19,744	9
च. सामाजिक सेवाएं	82,084	41
छ. आर्थिक सेवाएं	55,127	27
ज. सहायता अनुदान तथा अंशदान	7,877	4
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	1,99,895	100

3.2.2 राजस्व व्यय के प्रधान संघटक (2018-19 से 2022-23)

(₹ करोड़ में)

राजस्व व्यय के प्रधान संघटकों का रुझान



* सामान्य सेवाओं से मुख्यशीर्ष 2049 (ब्याज अदायगी) को अलग किया गया है तथा मुख्यशीर्ष 3604 (स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) को शामिल किया गया है।

3.3 पूंजीगत व्यय

3.3.1 पूंजीगत व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 12,383 करोड़ (मुख्य सिंचाई पर ₹ 10,562 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 1,279 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹ 542 करोड़) व्यय किये। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा शीर्ष "आवास" के अंतर्गत ₹ 28 करोड़ भवनों के निर्माण पर तथा ₹ 2,372 करोड़ विभिन्न सांविधिक निगमों/सरकारी कंपनियों/सहकारी संस्थाओं में निवेश पर व्यय किये गये।

(₹ करोड़ में)


स.क्र.	क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1.	सामान्य सेवाएं – पुलिस, लेखन सामग्री और मुद्रण, लोक निर्माण कार्य एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएं इत्यादि	1,165	3
2.	सामाजिक सेवाएं – शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण इत्यादि	14,632	31
3.	आर्थिक सेवाएं – कृषि, ग्राम विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, इत्यादि	28,641	61
4.	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	2,360	5
5.	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(-) 1	–
योग		46,797	100

3.3.2 विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	सामान्य सेवाएं	723	982	974	989	1,165
2.	सामाजिक सेवाएं	5,719	6,922	8,132	14,352	14,632
3.	आर्थिक सेवाएं	22,982	21,337	21,250	25,392	28,641
4.	ऋण तथा अग्रिम	1,090	987	1,230	3,229	2,360
5.	अंतर्राज्यीय परिशोधन	1	--	--	1	(-) 1
योग		30,515	30,228	31,586	43,963	46,797


पूँजीगत व्यय के प्रक्षेत्रवार वितरण का रुझान



3.4 प्रतिबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय का रुझान



पिछले साल की तुलना में वेतन मजदूरी सहित में 14 प्रतिशत की वृद्धि, ब्याज भुगतान में 5 प्रतिशत की वृद्धि एवं पेंशन भुगतान में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(₹ करोड़ में)

घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्रतिबद्ध व्यय	73,158	70,072	82,017	95,869	1,05,232
राजस्व व्यय	1,42,149	1,50,444	1,64,733	1,81,061	1,99,895
राजस्व प्राप्तियां	1,48,893	1,47,643	1,46,377	1,85,876	2,03,986
राजस्व व्यय का प्रतिबद्ध व्यय प्रतिशत	51	47	50	53	53
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिबद्ध व्यय प्रतिशत	49	47	56	52	52

प्रतिबद्ध व्यय पर प्रमुख संवितरण राज्य सरकार के लिये विकास खर्च पर कम लोच्यता छोड़ता है।

अध्याय – 4

विनियोग लेखे

4.1 विनियोग लेखे का सार – वर्ष 2022–23

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	समर्पण/ पुनर्विनि- योजन
1.	राजस्व दत्तमत प्रभारित	1,80,743.43 24,239.07	32,229.87 438.44	2,12,973.30 24,677.51	1,80,621.33 21,466.37	(-) 32,351.97 (-) 3,211.14	19,141.54 70.58
2	पूँजीगत दत्तमत प्रभारित	46,625.25 401.20	9,010.13 63.00	55,635.38 464.20	44,288.08 373.22	(-)11,347.30 (-) 90.98	3,660.83 0.45
3	लोक ऋण प्रभारित	24,114.09	--	24,114.09	22,006.24	(-) 2,107.85	1.71
4	ऋण एवं अग्रिम दत्तमत	3,113.76	680.00	3,793.76	2,360.18	(-) 1,433.58	109.58
5	अंतर्राज्यीय परिशोधन दत्तमत	--	--	--	(-) 0.95	(-) 0.95	--
6	आकस्मिक निधि को अन्तरण दत्तमत	--	--	--	--	--	--
	योग	2,79,236.80	42,421.44	3,21,658.24	2,71,114.47	(-) 50,541.87	22,984.69

4.2 विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-)/आधिक्य (+)					योग
	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	अंतर्राज्यीय परिशोधन	
2018-19	(-) 42,480.51	(-) 7,850.21	(+) 1,026.20	(-) 1,169.03	(+) 1.05	(-) 50,472.50
2019-20	(-) 47,573.37	(-) 9,693.32	(-) 3,869.72	(-) 994.60	(-) 0.62	(-) 62,131.63
2020-21	(-) 14,714.08	(-) 4,155.54	(-) 3,588.83	(-) 484.71	(-) 0.25	(-) 22,943.41
2021-22	(-) 23,002.19	(-) 12,285.71	(-) 2,631.95	(-) 1,867.61	(-) 1.20	(-) 39,786.26
2022-23	(-) 35,563.11	(-) 11,438.28	(-) 2,107.85	(-)1,433.58	(-) 0.95	(-) 50,541.87

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

एक अनुदान के अन्तर्गत विशिष्ट बचतें कुछ योजना/कार्यक्रमों के अकार्यान्वयन या धीमे कार्यान्वयन को दर्शाता है।

कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें एवं विशिष्ट बचतें निम्नानुसार हैं:-

(बचत प्रतिशत में)

अनुदान	नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व दत्तमत अनुभाग						
01	सामान्य प्रशासन	18.25	34.03	36.75	37.85	26.30
07	वाणिज्यिक कर	28.01	38.67	11.73	18.48	11.31
16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	20.11	19.92	11.83	20.15	52.39
21	लोक सेवा प्रबंधन	44.63	30.97	22.25	14.10	14.20
24	लोक निर्माण कार्य	35.10	17.35	16.15	15.88	22.44
28	राज्य विधान मंडल	10.64	15.94	17.82	21.99	11.03
29	विधि और विधायी कार्य	18.71	25.18	25.71	26.29	23.42
31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	29.97	27.43	24.44	18.29	9.38
पूंजीगत दत्तमत अनुभाग						
01	सामान्य प्रशासन	47.09	55.28	13.05	33.76	25.95
06	वित्त	47.39	89.76	65.73	55.57	96.51
14	पशुपालन एवं डेयरी	55.64	76.31	20.14	34.94	20.81
21	लोक सेवा प्रबंधन	86.84	78.37	54.69	97.64	100.00
29	विधि और विधायी कार्य	100.00	12.65	32.17	40.30	7.54
36	परिवहन	79.88	52.63	20.99	93.61	60.66
42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	100.00	98.45	29.07	54.64	58.83

2022-23 के दौरान कुछ प्रकरणों में पूरक अनुदान/विनियोग राशि ₹ 42,421.44 करोड़ (कुल व्यय ₹ 2,71,114.47 करोड़ का 15.65 प्रतिशत) अनावश्यक सिद्ध हुआ, जहाँ पर मूल आवंटन के विरुद्ध वर्ष के अन्त में महत्वपूर्ण बचतें हुईं। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व दत्तमत	924.47	90.82	748.24
03	पुलिस	राजस्व दत्तमत	8,745.19	66.34	7,665.84
10	वन	पूंजीगत दत्तमत	1,398.79	8.00	1,286.69
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूंजीगत दत्तमत	907.17	118.61	550.52
29	विधि और विधायी कार्य	राजस्व दत्तमत	1,804.60	120.48	1,474.21
30	ग्रामीण विकास	राजस्व दत्तमत	17,498.92	2,121.51	14,797.70
40	पंचायत	राजस्व दत्तमत	6,536.12	1,472.00	5,461.92
26	संस्कृति	पूंजीगत दत्तमत	377.50	1.00	54.55
45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	पूंजीगत दत्तमत	150.00	50.00	67.03
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व दत्तमत	88.23	20.36	87.55
55	महिला एवं बाल विकास	राजस्व दत्तमत	5,715.17	1,077.86	5,583.23
	योग		44,146.16	5,146.98	37,777.48

अध्याय — 5

परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

5.1 परिसम्पत्तियाँ

लेखाओं का विद्यमान स्वरूप शासकीय परिसम्पत्ति जैसे भूमि, भवन आदि का जिस वर्ष में क्रय/अर्जन किया गया है, को छोड़कर, सही मूल्यांकन प्रदर्शित नहीं करता। इसी प्रकार लेखाओं का यह स्वरूप वर्तमान वर्ष में उत्पन्न देयताओं के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, ये कुछ सीमा तक, ब्याज की दर एवं विद्यमान ऋणों की अवधि को छोड़कर भावी पीढ़ी पर समग्र प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं।

2022-23 के अंत तक, सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त पूंजी कंपनियों और साझेदारियों, बैंकों एवं सहकारिताओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 43,384 करोड़ रहा। तथापि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹ 160 करोड़ (0.37 प्रतिशत) लाभांश प्राप्त हुआ। 2022-23 के दौरान निवेश में ₹ 2,325 करोड़ की वृद्धि एवं लाभांश में ₹ 21 करोड़ की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2022 को रिजर्व बैंक के पास ₹ 16,324 करोड़ सामान्य रोकड़ शेष था जो 31 मार्च 2023 के अंत में वृद्धि होकर ₹ 18,180 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का सामान्य रोकड़ शेष ₹ 1,856 करोड़ से बढ़ गया।

5.2 ऋण तथा दायित्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 में राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उस सीमा में, यदि कोई, जैसा कि समय-समय पर राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्धारित की गई हों, राज्य सरकार को उधार लेने की शक्ति प्रदत्त की गई है।

राज्य सरकार की कुल दायित्वों और लोक ऋण का विवरण निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)


वर्ष	लोक ऋण	जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत	लोक लेखे(*)	जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत	कुल दायित्व(*)	जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत
2018-19	1,57,398	19	36,911	5	1,94,309	24
2019-20	1,80,829	20	49,743	5	2,30,572	25
2020-21	2,33,242	25	56,056	6	2,89,298	32
2021-22	2,64,364	23	58,854	5	3,23,218	28
2022-23	3,01,225	23	62,727	5	3,63,952	28

* उचन्त एवं प्रेषण शेष छोड़कर

टीप :- वर्ष के अन्त में आंकड़ों का प्रगामी शेष है।

2021-22 की तुलना में 2022-23 में लोक ऋण एवं अन्य दायित्व में ₹ 40,734 करोड़ (13 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई है।

शासकीय दायित्वों का रुझान



(*) ब्याज मुक्त आरक्षित निधियां एवं जमा।

5.3 प्रत्याभूतियाँ

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानक-1 (आई.जी.ए.एस.-1) की आवश्यकता के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूतियाँ को वित्त लेखे में दर्शाया गया है। सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि के द्वारा लिये गये पूंजी, ऋण तथा उन पर ब्याज भुगतान के लिये राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान के लिए दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि (केवल मूलधन)	31 मार्च को बकाया मूलधन एवं ब्याज
2018-19	55,640	30,763
2019-20	43,017	30,930
2020-21	54,464	37,010
2021-22	60,634	35,006
2022-23	67,624	39,788

टीप :- विवरण संख्या 9 में विस्तृत विवरण दिया गया है जो कि राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी पर आधारित है और जहाँ उपलब्धता थी वहाँ संबंधित संस्थानों द्वारा कराई गई है।

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 27.01.2006 के द्वारा वर्ष 2006 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित किया जावेगा। योजनानुसार, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति शुल्क के रूप में एकत्र की हुई राशि के साथ प्रत्याभूति शुल्क के बराबर की राशि का स्थानान्तरण इस निधि में किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार समय-समय पर कोई भी राशि इस निधि में हस्तांतरित कर सकती है।

31 मार्च 2023 तक निधि का कुल संचय ₹ 1,051 करोड़ था। ₹ 966 करोड़ की राशि आर.बी.आई. द्वारा निवेश की गई है। विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

01 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष	निधि में संवर्धन (योगदान व ब्याज)		निधि में से भुगतान	निधि में कुल शेष	वर्ष 2022-23 के दौरान आर. बी.आई. द्वारा निवेश की गई राशि	31 मार्च 2023 को अंत शेष
	अपेक्षित योगदान	वर्ष 2022-23 के दौरान वास्तविक आंकड़े				
1,035	31	16	निरंक	1,051	966	85

अध्याय — 6

अन्य मदें

6.1 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानक-3 (आई.जी.ए.एस.-3) की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली ऋण एवं अग्रिम को वित्त लेखों में दर्शाया गया है। बकाया ब्याज भुगतान, संस्थाओं द्वारा बकाया ऋण की वापसी, वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋण एवं अग्रिम से संबंधित जानकारी और ऋण और अग्रिम से संबंधित असाधारण लेन-देन का संकेत देने वाले खुलासे राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के अंत तक कुल ₹ 47,826 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम दिए गए। इसमें से राशि ₹ 47,807 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम शासकीय निगमों/कम्पनियों, अशासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को दिए गए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने राशि ₹ 2,360 करोड़ के ऋण और अग्रिम वितरित किए तथा राशि ₹ 1,458 करोड़ के लंबित ऋण वसूल किए। वर्ष के दौरान ₹ 4,033 करोड़ ब्याज के रूप में प्राप्त हुए।

6.2 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार को लेखांकन मानक-2 (आई.जी.ए.एस.-2) की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता अनुदान को वित्त लेखों में दर्शाया गया है। विगत पांच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान वर्ष 2018-19 में ₹ 54,428 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 72,507 करोड़ हुआ। वर्ष के दौरान शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया अनुदान (₹ 27,431 करोड़) पूरे वर्ष में दिये गये कुल अनुदान का 38 प्रतिशत है।

विगत पांच वर्षों के सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शहरी स्थानीय निकाय	पंचायती राज संस्थान	अन्य	योग
2018-19	11,409	26,301	16,718	54,428
2019-20	6,204	18,829	40,225	65,258
2020-21	6,874	19,103	38,294	64,271
2021-22	7,001	16,889	42,708	66,598
2022-23	6,990	20,441	45,076	72,507

6.3 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	(-) 1,118	(-) 4,970	(-) 3,852
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के कोषालय देयक एवं प्रतिभूतियाँ)	17,442	23,150	5,708
उद्धिष्ट निधियों के शेषों से निवेश	974	974	--
(क) निक्षेप निधि	--	--	--
(ख) प्रतिभूति मोचन निधि	966	966	--
(ग) अन्य निधियां	8	8	--
ब्याज की वसूली	197	166	(-) 31

6.4 लेखों का पुनर्मिलान

लेखाओं की शुद्धता तथा विश्वसनीयता अन्य बातों के साथ-साथ समय पर विभागीय आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखाओं के आंकड़ों के मिलान पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में, बजट नियंत्रक अधिकारियों के बजाय निदेशालय कोष एवं लेखा, लेखा एवं हकदारी कार्यालय से आंकड़ों का प्राथमिक रूप से पुनर्मिलान कर रहा है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति राशि ₹ 1,77,121 करोड़ (समेकित निधि के अंतर्गत कुल प्राप्तियों का 67 प्रतिशत) तथा व्यय राशि ₹ 2,36,396 करोड़ (समेकित निधि के अंतर्गत कुल व्यय का 88 प्रतिशत) का पुनर्मिलान किया गया।

तुलना में, वर्ष 2021-22 अर्थात् गतवर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति राशि ₹ 1,64,260 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 88 प्रतिशत) तथा व्यय राशि ₹ 2,13,151 करोड़ (कुल व्यय का 95 प्रतिशत) का पुनर्मिलान किया गया।

6.5 राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.)

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 182 से 184 के अनुसार, अनुदानग्राही को प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक या इससे पहले विभागीय अधिकारियों द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यू.सी. के प्रस्तुत न करने की सीमा तक इस बात का जोखिम है कि वित्तीय लेखे में दर्शायी गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाई होगी।

वर्ष 2022-23 के दौरान, वर्ष 2021-22 की अवधि तक की 177 बकाया यू.सी. से संबंधित ₹ 12,055 करोड़ समाशोधित किये गए। 31 मार्च 2023 को बकाया यू.सी. की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया यू.सी. की संख्या	राशि
2021-22 तक	19,521	14,132
2022-23	416	4,740
योग	19,937	18,872

* उपरोक्त वर्ष 'नियत वर्ष' से संबंधित है।

वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन 28 यू.सी. जिनकी राशि ₹ 1,814 करोड़ है जो वर्ष 2023-24 में देय होगा।

6.6 उंचत शेषों का संचय

उंचत शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेषों की गैर निकासी प्राप्ति/व्यय के लेखों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ाये जाने वाले आंकड़ों एवं शेषों की शुद्धता को प्रभावित करती है। उंचत मदों की निकासी राज्य कोषालयों, निर्माण, वन एवं ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा संभाग, लेखा एवं भुगतान कार्यालयों इत्यादि द्वारा प्रेषित जानकारी पर निर्भर करती है।

महत्वपूर्ण बकाया उंचत शेषों का विवरण नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

लेखे का शीर्ष		01 अप्रैल 2022 की स्थिति में पूर्व शेष	प्राप्ति	संवि-तरण	31 मार्च 2023 की स्थिति में अंत शेष
8658	उंचत लेखा				
101	वेतन एवं लेखा कार्यालय उंचत	नामे 746	83	69	नामे 732
107	नकद परिनिर्धारण उंचत लेखा	नामे 114	0	0	नामे 114
109	रिजर्व बैंक उंचत मुख्यालय	जमा 192	3	(-) 2	जमा 197
110	रिजर्व बैंक उंचत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	नामे 431	0	19	नामे 450
112	स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उंचत	जमा 617	307	0	जमा 924
113	भविष्य निधि उंचत	नामे 9	0	0	नामे 9
123	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का समूह बीमा योजना	जमा 11	1	1	जमा 11
129	सामग्री क्रय परिनिर्धारण उंचत लेखे	जमा 187	0	0	जमा 187
139	जी.एस.टी.-स्रोत पर कर कटौती उंचत	जमा 412	400	383	जमा 429

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ae/gwalior-i/hi>